	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2018	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण की जरिये रजिस्ट्री तलबी की P.O. की रसीद पत्रावली पर पेश की। बावजूद रजि. तामील के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं है इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील वादी साक्ष्य पेश करना नहीं चाहते। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। बहस हाल सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस मनन किया गया। वकील वादी द्वारा दस्तावेज पेश किए उनका भी अवलोकन किया गया। दावा वादी बहक वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में दाखिल हो। सुनाया। SDOC	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/275/2012

वउनवान

1. बिरजू पि0मु0 गणपत जाति मीना निवासी बेरका
   तहसील कठूमर

----- वादी

बनाम

1. सूवेदार पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी बेरका
2. दयाराम पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी बेरका
3. राधाकिशन पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी बेरका
4. रामकिशोर पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी बेरका
5. शिब्बो पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
6. सुरेश पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेंरका
7. महेश पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
8. मु0 सांझा वेवा अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
9. लक्खी उर्फ लालजी पुत्र भम्बू जाति मीना निवासी बेरका
10. रमजा उर्फ रामजीलाल पुत्र भम्बू जाति मीना निवासी बेरका
    तहसील कठूमर

----- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट : वकील वादी

निर्णय दिनांक 24.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 399 रकवा 0.80 हे. 449 रकवा 0.89 हे. 452 रकवा 0.97 हे. 400 रकवा 1.25 हे. ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर में स्थित है। वादी मृतक दक्खो वेवा गणपत का दत्तक पुत्र है। विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के वुजुर्ग धन्ना की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। धन्ना के फौत होने पर विवादित आराजी भम्बू अर्जुन गणपत को वहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हो गई थी। गणपत जो कि लाबल्द फौत हुआ है जिसके फौत हो जाने के वाद मृतक गणपत की वेवा मु0 दक्खो ने वादी को अपना

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

दत्तक पुत्र मानकर एक गोदनामा वादी के हक में दिनांक 28.05.1966 को रजिस्टर्ड करा दिया। वक्त गोदनामा से ही वादी विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादी विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा की आराजी अपने नाम घोषित कराने का अधिकारी है। मु0 दक्खो वेवा गणपत के द्वारा पंजीवद्व कराये गये गोदनामा के आधार पर वादी को ग्राम भोजपुरा की आराजी में राजस्व कर्मचारियों ने विधिवत तरीके से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज कर दिया लेकिन दक्खो के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियान से वेजा साज वाज होकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। जो इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य है। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण विवादित आराजी में दक्खो के हिस्से पर कब्जा करना चाहते है तथा वादी को वेदखल करना चाहते है हाल राजस्व रेकार्ड पर विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करने की धमकी देते है। अतः वादी ने विवादित आराजी के 1/3 हिस्सा से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करने व अपनी खातेदारी मे घोषित कराने व वाद वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने की प्रार्थना की है। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील से तलव किया गया। दिनांक 24.05.2018 को प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड डाक तामील से उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता। अतः साक्ष्य वादी बन्द की गई। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ नकल छाया प्रति गोदनामा, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 नकल जमाबन्दी संवत् 2034 नकल नामान्तकरण संख्या 2012 वाके ग्राम ईसरोता पेश की है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय वहस सुनी गयी। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गोदनामा का अवलोकन किया। विद्वान अधिवकता वादी ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया। वादी ने अपनी वहस के दौरान जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम भोजपुरा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

हमने पत्रावली के तथ्यों पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रेकार्ड गोदनामा पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी हिस्सा मुताविक प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। रजिस्टर्ड गोदनामा की छाया प्रति के अनुसार मु0 दक्खो पत्नी गणपत ने वादी को अपने जीवनकाल में ही गोदनामा रजिस्टर्ड कराया है। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम भोजपुरा में आराजी खसरा नम्बरान 728, 730, 738 वाके

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

ग्राम भोजपुरा में वादी का नाम विरजू पि0मु0 गणपत 1/3 हिस्सा अन्य खातेदारान के साथ दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम भोजपुरा में भी उक्त आराजी वाके ग्राम भोजपुरा विरजू पि0मु0 गणपत 1/3 हिस्सा के अनुसार अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है। पत्रावली के साथ संलग्न छाया प्रति रजिस्टर्ड गोदनामा से यह सावित है कि मु0 दक्खो वेवा गणपत ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद लेकर गोदनामा रजिस्टर्ड कराया है। जिसके अनुसार ग्राम भोजपुरा की जमीन में विरजू पि0मु0 गणपत दर्ज हो गया लेकिन विवादित आराजी में वादी विरजू पि0मु0 गणपत का नाम दर्ज न कर प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज कराली जो गैरकानूनी है। रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर विवादित आराजी वादी विरजू पि0मु0 गणपत के नाम ही दर्ज करनी चाहिए थी। प्रतिवादीगण वावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील के हाजिर अदालत नही आये और ना अपनी ओर से दावा में कोई उज्र व एतराज पेश किया। इससे सावित है कि प्रतिवादीगण को दक्खो द्वारा वादी के हक में किये गये गोदनामा की पूर्व से जानकारी है तथा प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृति है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गोदनामा के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षिय वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 399 रकवा 0.80 हे. 449 रकवा 0.89 हे. 452 रकवा 0.97 हे. 400 रकवा 1.25 हे. ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर का वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी वावत गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 24.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/275/2012

वउनवान

1. विरजू पि0मु0 गणपत जाति मीना निवासी बेरका
   तहसील कठूमर

------ डिक्रीदार

बनाम

1. सूवेदार पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी बेरका
2. दयाराम पुत्र बाबूलाल जाति मीना निवासी बेरका
3. राधाकिशन पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी बेरका
4. रामकिशोर पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी बेरका
5. शिब्बो पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
6. सुरेश पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेंरका
7. महेश पुत्र अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
8. मु0 सांझा वेवा अमरसिंह जाति मीना निवासी बेरका
9. लक्खी उर्फ लालजी पुत्र भम्बू जाति मीना निवासी बेरका
10. रमजा उर्फ रामजीलाल पुत्र भम्बू जाति मीना निवासी बेरका
    तहसील कठूमर

----- मदयूनान

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादी एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 399 रकवा 0.80 हे. 449 रकवा 0.89 हे. 452 रकवा 0.97 हे. 400 रकवा 1.25 हे. ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर का वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी वावत गलत रूप से दर्ज प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशाोधित इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 24.05.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner